परिशिष्ट 'ग'

(नियम 18 देखिये)

संख्या15/25/73 रा0एकी0

प्रेषक,

महमूद बट्ट, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
सेवा में,

समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश,
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 10 मई 1976

विषय: अनुसचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग साक्षात्कार उनके बीच आरक्षित रिक्तियों का आदान-प्रदान, स्थायीकरण में आरक्षण, विभागीय चयन समितियों में इन जातियों के अिधकारियों, विभागीय चयन समितियों तथा भर्ती के नियमों में आरक्षण का प्राविधान करना आदि है।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग - मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि अभी हाल ही में शासन के सामने यह प्रश्न विचारार्थ आया कि उपरोक्त विषयों में जो सुविधायें भारत सरकार द्वारा अनुसचित जाति व जनजाति के लिए दी गई हैं वे राज्य सरकार की सेवाओं आदि में उपलब्ध है या नहीं है। यह अनुभव किया गया किइस पकार की सुविधायें राज्य सरकार की सेवाओं आदि में उपलब्ध नहीं है अतएव शासन ने यह निर्णय लिया है कि इन विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाये-

अनुसचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अलग साक्षात्कार- आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसचित जाति व अनुसचित जनजातियों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उस दिन या चयन समिति की उस बैठक में किया जायेगा जिस दिन वह जिस बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं करना हो ताकि अनुसचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने में सामान्य उम्मीदवारों से उनकी तुलना न की जा सके तथा साक्षात्कार करने वाले अधिकारी/बोर्ड इस बात की आवश्यकता से भली-भॉति अवगत हों कि अनुसचित जाति व अनुसूचित जनजातियों

की योग्यता का मूल्यांकन शिथिल किये गये मानक (-Relaxed Standard) के अनुसार किया जाना चाहिये।

अनुसचित जाति व जनजाति के बीच रिक्तियों पर परस्पर आदान-प्रदान- जहॉ अनुसचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को केवल सम्बद्ध समुदाय के लिए ही आरक्षित माना जा सकता है वहॉ जिस रिक्ति के आगे तीन वर्ष अग्रनीत किये जाने पर भी यदि उसकी पूर्ति अनुसचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा न की जा सके हो तो अनुसचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित उस रिक्ति पर अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसी रिक्ति को जो तीसरे वर्ष अग्रेनीत की गई हो उसे विज्ञापित/अधसूचित करते समय विज्ञापन/अधियाचन में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि रिक्ति अनुसचित जातियों के लिए आरक्षित है किन्तु अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों के न मिलने पर अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी भी विचार करने के लिए पात्र होगें। इसी प्रकार यह व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की दशा में लागू होगी। स्थायीकरण में अनुसचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना-सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में स्थायी तौर पर पहली नियुक्ति के समय तथा स्थायीकरण दोनो समय अनुसचित जातियों व अनुसचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया जाना आपेक्षित है फिर भी प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में प्रोन्नति किये गये व्यक्तियों के स्थायीकरण के स्तर पर कोई आरक्षण नहीं है। किसी सेवा/पद के मामले में जिसमें ज्येष्ठता के साधारण नियम लागू होते हैं उस सेवा/पद के सभी स्थायी अधिकारियों को उन व्यक्तियों से जो उस पद क्रम में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहें हैं ज्येष्ठ रखा जाये। इस प्रकार अनुसचित जाति व जनजाति के अधिकारी स्थायीकरण के पश्चात उस पदक्रम में अस्थायी/स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे अधिकारियों से ज्येष्ठ होगें तथा उसक्रम के स्थायी अधिकारियों में उनकी ज्येष्ठता स्थायीकरण के क्रम के अनुसार होगी।

विभागीय चयन समितियों में अनुसचित जाति व जनजाति के अधिकारियों को सेवायोजित करना- विभागीय प्रोन्नति समितियों, सिलेक्शन बोर्ड अथवा भर्ती करने वाले प्राधिकारीयों का सामान्यता गठन उस पद/पदों जिनके लिये भर्ती की जानी है के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पद तथा अनुभव वाले विभागीय अधिकारियों से किया जाता है। अतः यह सम्भव नहीं हो सकता कि उनमे अनुसचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को सदैव सम्मिलित किया जा सके तथापि विभागों को चाहिए कि वे अपने अधीन पदों/सेवाओं में भर्ती/प्रोन्नति के लिए विभागीय चयन समितियों/सेलेक्शन बोर्डों आदि का गठन करते समय एक अनुसचित

जाति/जनजाति के अधिकारी को नामित करने का यथासम्भव प्रयास करें।
अनुसचित जाति व जनजातियों के भर्ती के बाद में नियमावलियों में प्राविधान करना- आरक्षण आदेशों की व्याप्ति में आने में आने वाली सभी सेवाओं/पदों के सम्बन्धी में भर्ती सम्बन्धी नियमों में निम्नलिखित आधारों पर अलग अन्तर्विष्ट होना चाहिए।
अपवाद-समय-समय पर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गो के व्यक्तियों को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन नियमों द्वारा किसी प्रकार प्रभाव नहीं पडेगा।
इस प्रकार के नियम का समावेश साधारण नियमों के अन्त में करना होगा जब तक कि प्रारूपकार (Draftsan) नियमों की विशिष्ट व्यवस्था के प्रसंग में किसी अन्य स्थान को अधिक उपयुक्त न समझे।

उक्त विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यदि कोई अन्य आदेश पूर्व मे जारी किये गये हो तो उन्हे तदनुसार संशोधित समझा जाये।

मुझे आपसे यह भी अनुरोध करना है कि यह आदेश कृपया सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में उनकी सूचना तथा पथ-प्रदर्शन के लिए लाये जायें।
संख्या15/25/75(1) रा0एकी0 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
(1). सचिवालय के समस्त विभाग
(2). श्री राज्यपाल के सचिव
(3). सचिव, लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4). मुख्य कार्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(5). निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(6). समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।